कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 155/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 24.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, दिनांक 24.04.2026
जनपद आजमगढ़

दीक्षांत/पासिंग आउट परेड के ग्रैंड रिहर्सल में 594 महिला प्रशिक्षुओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन

आज दिनांक 24.04.2026 को रिजर्व पुलिस लाइन, आजमगढ़ स्थित परेड ग्राउंड में प्रशिक्षणरत 594 महिला प्रशिक्षुओं की प्रस्तावित दीक्षांत/पासिंग आउट परेड के दृष्टिगत ग्रैंड रिहर्सल का आयोजन किया गया। रिहर्सल में कुल 20 टोलियों में विभाजित प्रशिक्षुओं ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत करते हुए उच्च स्तरीय अनुशासन, समन्वय एवं दक्षता का प्रभावी प्रदर्शन किया ।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा परेड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित पासिंग आउट परेड को भव्य, सुव्यवस्थित एवं गरिमामय ढंग से सम्पन्न कराया जाए।

कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। रिहर्सल के माध्यम से परेड की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया तथा सभी तैयारियों को चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए।

प्रेस नोट, दिनांक 24.04.2026
जनपद आजमगढ़ थाना महराजगंज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना–

दिनांक 24.04.2026 को वादिनी थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त साहुल पुत्र करमदेव चौहान निवासी देवारा जदीद जोड़वावर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0 73/26 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 पवन कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण तथा प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 24.04.2026 को मुखबिर की

सूचना पर वांछित अभियुक्त साहुल पुत्र करमदेव चौहान को देवारा जदीद (बड़ई का पुरा) क्षेत्र से समय करीब 12:15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त की विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 73/26 धारा 69 बीएनएस थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. साहुल पुत्र करमदेव चौहान निवासी देवारा जदीद जोड़वावर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 26 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य उ0नि0 पवन कुमार सिंह का
2. अरुण कुमार गौड़ थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।
3.

जनपद पुलिस महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 24.04.2026
थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दीदारगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व की घटना–

दिनांक 13.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 12.04.2026 को उसकी पुत्री घर से चली गई, जिसे शाहिल नामक व्यक्ति (ऑटो चालक) बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 87, 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त शाहिल उर्फ ताहिर उर्फ असगर पुत्र मो0 असलम निवासी हंसापुर, थाना दीदारगंज, हाल पता ग्राम पल्थी का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत उ0नि0 भाईलाल सोनकर मय हमराह द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आमगांव चौराहा के पास से वांछित अभियुक्त शाहिल उर्फ ताहिर उर्फ असगर को दिनांक-24.04.2026 को समय लगभग 05:45 बजे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता से पकड़ लिया गया।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 68/2026 धारा 87, 137(2), 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. शाहिल उर्फ ताहिर उर्फ असगर पुत्र मो0 असलम निवासी हंसापुर, थाना दीदारगंज, हाल पता ग्राम पल्थी, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. प्र0नि0 जयप्रकाश, थाना दीदारगंज

2. उ0नि0 भाईलाल सोनकर, थाना दीदारगंज
3. हे0का0 रामदीन, थाना दीदारगंज
4. का0 गुलाबधर यादव, थाना दीदारगंज

जनपद पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु निरंतर सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

प्रेस नोट, दिनांक 23.04.2026
थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 किलो गांजा के साथ दो अभियुक्ता व एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध गांजा तस्करी में संलिप्त गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 23.04.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तहबरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नवापुरा मोड़, बहद ग्राम नवापुर पर घेराबंदी कर 1. मो0 साजिद पुत्र मो0 शाहिद निवासी तुर्कमानपुर, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर, 2. रविता निषाद पुत्री राजेन्द्र निषाद, 3. प्रीति निषाद पुत्री लक्ष्मण निषाद निवासीगण मो0 चकरा अव्वल, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर (हाल पता अमरूद मंडी, राजघाट) को गिरफ्तार किया गया।

क्षेत्राधिकारी बूढ़पुर द्वारा तलाशी के दौरान अभियुक्त मो0 साजिद के कब्जे से 06 किलो, अभियुक्ता रविता के कब्जे से 02 किलो तथा अभियुक्ता प्रीति के कब्जे से 02 किलो, कुल 10 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक ट्राली बैग, दो बैग, तीन मोबाइल फोन एवं कुल ₹680 नकद बरामद किए गए। अभियुक्तों को समय करीब 14:10 बजे हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे उड़ीसा से गांजा वाराणसी मंगाकर वहां से प्राप्त करते हैं तथा वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर आदि जनपदों में फुटकर बिक्री करते हैं। महिलाओं के साथ होने के कारण उन पर कम संदेह होता है, जिससे अधिक लाभ अर्जित करते हैं।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 57/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मो0 साजिद पुत्र मो0 शाहिद निवासी तुर्कमानपुर, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर
2. रविता निषाद पुत्री राजेन्द्र निषाद निवासी मो0 चकरा अव्वल, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर (हाल पता अमरूद मंडी, राजघाट)
3. प्रीति निषाद पुत्री लक्ष्मण निषाद निवासी मो0 चकरा अव्वल, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर (हाल पता अमरूद मंडी, राजघाट)

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्ता रविता निषाद के विरुद्ध मु0अ0सं0 127/2025 धारा 115(3), 191(2), 324(4), 351(3), 352 बीएनएस थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, थाना तहबरपुर

2. का0 मो0 आरिध अंसारी, थाना तहबरपुर
3. का0 ऋषि कुमार, थाना तहबरपुर
4. म0का0 अमृता यादव, थाना तहबरपुर

जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जारी है तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रेस नोट, दिनांक 24.04.2026
थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने व गाली-गलौज के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 120/2026 धारा 87/352 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण–

दिनांक 23.04.2026 को प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 87/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसमें आरोप है कि अभियुक्त द्वारा एक महिला को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना म0उ0नि0 सानिया गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष कप्तानगंज के नेतृत्व में दिनांक 24.04.2026 को म0उ0नि0 सानिया गुप्ता मय हमराह द्वारा क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त इब्राहीम पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष को नहर पट्टी के पास से समय करीब 13:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 120/2026 धारा 87/352 बीएनएस थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. इब्राहीम पुत्र शकील अहमद निवासी ग्राम निजामुद्दीन पट्टी, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. म0उ0नि0 सानिया गुप्ता, थाना कप्तानगंज
2. का0 अखिलेश यादव, थाना कप्तानगंज

जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही निरंतर जारी है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।